न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू-अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 08/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/09)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. मनजीत कौर उर्फ छिन्द्र कौर पत्नी टहल सिंह पुत्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 09.11.2023

उपस्थितः– 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

---निर्णय---   दिनांक : 22.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 73/73 के मुरब्बा नम्बर 43, 46, 51, 56, 57, 62, 65, 69, 76/15 की कुल 10.789 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के नाम 0.440 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 4 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 के मुरब्बा नम्बर 01, 02, 06, 61 की कुल 4.363 हैक्टेयर भूमि में से 0.282 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादिया का नाम छिन्द्र कौर पुत्री जसवन्त सिंह अंकित है। वादिया उक्त खाता में नाम छिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर दर्ज करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 73/73 व राजस्व ग्राम 4 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 में अंकित नाम छिन्द्र कौर के स्थान पर छिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1902 दिनांक 03.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि मनजीत कौर उर्फ छिन्द्र कौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। मनजीत कौर पत्नी टहल सिंह को ग्राम में मनजीत एंव छिन्द्र कौर के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी का वास्तविक नाम छिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर पत्नी टहल सिंह है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों

4. का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 73/73 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 4 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 9 एफ ए तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 73/73 व राजस्व ग्राम 4 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 में अंकित नाम छिन्द्र कौर के स्थान पर छिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति में नाम छिन्द्र कौर अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि मनजीत कौर उर्फ छिन्द्र कौर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। मनजीत कौर पत्नी टहल सिंह को ग्राम में मनजीत एंव छिन्द्र कौर के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी का वास्तविक नाम छिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर पत्नी टहल सिंह है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 73/73 व राजस्व ग्राम 4 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 में अंकित नाम छिन्द्र कौर के स्थान पर छिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

मनजीत कौर उर्फ छिन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर **08/2023**

निर्णय दिनांक :- 22.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 73/73 व राजस्व ग्राम 4 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 41/36 में अंकित नाम छिन्द्र कौर के स्थान पर छिन्द्र कौर उर्फ मनजीत कौर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 22.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 22.05.2024

क्रमांकः रीडर/2024/218

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर